

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

दिनांक- 17.03.21

(1) **ऑनलाईन सेवा प्राथमिकता क्रम** :- आरएएस परीक्षा, 2018 के दिनांक 26.11.2020 से दिनांक 02.12.2020 तक भरवाये गये ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के अन्तर्गत जिन 91 अभ्यर्थियों ने (सूची वेबसाइट पर उपलब्ध) ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम नहीं भरे हैं, वे दिनांक 19.03.2021 से दिनांक 21.03.2021 तक ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम भरे। इनकी सूची आयोग की वेबसाइट पर भी जारी की गई है। इस अंतिम अवसर के पश्चात कोई अवसर देय नहीं होगा। ऑफलाईन प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जावेंगे तथा एक बार प्राथमिकता क्रम भरे जाने के उपरान्त किसी भी अभ्यर्थी का संशोधन स्वीकार नहीं होगा।

(2) **ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम** :- उक्त परीक्षा के दिनांक 12.03.2021 को घोषित परिणाम में उर्तीण 58 अभ्यर्थियों एवं पूर्व में ऑनलाईन विस्तृत आवेदन नहीं भरने वाले 08 अभ्यर्थियों को ऑनलाईन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम भरे जाने हैं (सूची वेबसाइट पर उपलब्ध)। पदों की सूचना के लिए नॉन-टीएसपी पदों हेतु शुद्धि पत्र दिनांक 23.11.2020 को जारी किया है तथा टीएसपी पदों हेतु दिनांक 04.05.2018 को जारी विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी SSO पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> पर लॉगिन कर तथा रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंतर्गत Detailed Form cum Scrutiny लिंक को क्लिक कर विस्तृत आवेदन पत्र एवं सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन भरें। ऑफलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- A. विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम आनलाईन भरने के लिए उक्त लिंक दिनांक 24.03.2021 (समय 00.00 ए.एम) से 27.03.2021 (रात्रि 12.00) तक खुला है इसके पश्चात कोई अवसर देय नहीं होगा।
 - B. जिन अभ्यर्थियों ने केवल नॉन-टीएसपी विज्ञापन दिनांक 02.04.2018 के तहत आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी केवल नॉन टीएसपी के प्राथमिकता क्रम भरें तथा जिन अभ्यर्थियों ने केवल टीएसपी विज्ञापन दिनांक 04.05.2018 तहत आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी केवल टीएसपी के सेवा प्राथमिकता क्रम भरे।
 - C. जिन अभ्यर्थियों ने दोनों विज्ञापनों के तहत आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी नॉन-टीएसपी और टीएसपी (दोनों) के सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
 - D. जिन अभ्यर्थियों ने नॉन-टीएसपी विज्ञापन के तहत एनजीई श्रेणी में भी आवेदन किया है, वे अभ्यर्थी एनजीई श्रेणी के भी सेवा प्राथमिकता क्रम भरें।
 - E. सेवा प्राथमिकता क्रम केवल ऑनलाईन ही भरे जाने हैं। अभ्यर्थी सेवा प्राथमिकता क्रम को सबमिट करने से पूर्व भरी गई सेवा प्राथमिकताओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। सबमिट करने के उपरान्त कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।
3. सभी अभ्यर्थी ऑनलाईन भरे गये विस्तृत आवेदन पत्र मय सेवा प्राथमिकता क्रम एवं आवश्यक दस्तावेजों के साक्षात्कार के समय साथ लावें।
 4. सेवा प्राथमिकता क्रम और विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरने के उपरान्त ही साक्षात्कार में प्रवेश दिया जावेगा।
 5. उपरोक्तानुसार अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जिन अभ्यर्थियों द्वारा सेवा प्राथमिकता क्रम नहीं भरे जावेगे उनके प्राथमिकता क्रम आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/शुद्धि पत्र के अनुसार (BY DEFAULT) प्राथमिकता क्रम माने जावेंगे।

(शुभम् चौधरी)
सचिव